न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजसमन्द

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंजीयन अपील : 01/2016

दायर दिनांक : 22.06.2016

निर्णय दिनांक : 01.03.2021

—:अनवान:—

श्री जेता पिता वगता जी जाति भील मृतक की बजाय वसीयत गृहिता :— कपुरचन्द पिता श्री डालचन्द चण्डालिया निवासी थोरिया तहसील कुम्भलगढ, हाल निवासी रचना अपार्टमेन्ट, प्रथम फ्लोर, कमरा नं0 5, महात्मा गॉधी रोड, डोंबीवली, वेस्ट, जिला ठाणे (महाराष्ट्र)

——— अपीलान्ट

—:: बनाम ::—

श्रीमान उप पंजीयक महोदय राजसमंद तहसील व जिला राजसमंद

———रेस्पोडेन्ट

पंजीयन अपील अन्तर्गत धारा 72 भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 विरुद्ध आदेश उप पंजीयक राजसमंद दस्तावेज संख्या 201601128003925 दिनांक 18.05.16

उपस्थित:—

1— श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाश चन्द्र बोल्या, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

संक्षिप्त मे प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के स्वामीत्व आधिपत्य की आराजी संख्या 905 एवं 1099/987 राजस्व ग्राम जावद तहसील राजसमंद में स्थित रही, उक्त भूमि को कृषि से अकृषि रूपान्तरण करवाकर पट्टा संख्या 386/1999, 387/1999 एवं 388/1999 प्राप्त किया। उपरोक्त पट्टो की भूमि को जीवराज ने अपीलान्ट की बिना जानकारी में धोखे से पावर ऑफ एटोर्नी निष्पादित करवा इन पट्टे की भूमियो को अन्य लोगो को अन्तरित कर दी जिसके सम्बन्ध में जानकारी होने पर अपीलान्ट ने इन अन्तरण सम्बन्धी दस्तावेज को अवैध व शुन्य घोषित कराने के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया जिसकी अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेण्डिग है। उक्त सम्पति के संबंध में अपीलान्ट ने वसीयत निष्पादित कर पंजीयन करने हेतु अधीनस्त न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे पंजीयन से इन्कार कर लौटा दिया जिसके कारण अपीलान्ट यह अपील प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस में यह कथन किया गया कि अपीलान्ट के स्वामीत्व आधिपत्य की आराजी संख्या 905 एवं 1099/987 राजस्व ग्राम जावद तहसील राजसमंद में स्थित रही, उक्त भूमि को कृषि से अकृषि रूपान्तरण करवाकर पट्टा संख्या 386/1999, 387/1999 एवं 388/1999

प्राप्त किया। उपरोक्त पट्टो की भूमि को जीवराज ने अपीलान्ट की बिना जानकारी में धोखे से पावर ऑफ एटोर्नी निष्पादित करवा इन पट्टे की भूमियो को अन्य लोगो को अन्तरित कर दी जिसके सम्बन्ध में जानकारी होने पर अपीलान्ट ने इन अन्तरण सम्बन्धी दस्तावेज को अवैध व शुन्य घोषित कराने के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया जिसकी अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेण्डिग है। उक्त सम्पति के संबंध में अपीलान्ट ने वसीयत निष्पादित कर पंजीयन करने हेतु अधीनस्त न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे पंजीयन से इन्कार कर लौटा दिया।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि उप पंजीयक राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया। वसीयत पत्र में उप पंजीयक राजसमन्द की टिप्पणी के अनुसार वसीयत पत्र में अंकित सम्पत्ति आवासीय होकर पूर्व में पॉवर ऑफ एटौनी धारक जीवराज द्वारा विक्रय कर दी है, एवं इसका विवाद माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में कार्यवाही जैरोकार है। जिस सम्पति की वसीयत प्रस्तुत की गयी है, उसका बैचाव पहले ही हो चुका है । उक्त सम्पति का मालिकाना हक अपीलांट का नही है, अतः उस संपति का वसीयत करना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। विधिनुसार उसी सम्पति की वसीयत की जा सकती है जो रेकार्ड अनुसार आपकी स्वयं की सम्पति हो। उप पंजीयक राजसमन्द ने उक्त दस्तावेज को निष्पादित न मानते हुए रजिस्टर करने से इनकार करने में कोई विधिक त्रुटि नही की हैं। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 01.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक
राजसमंद